झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 फाल्गुन, 1937 (श०)

संख्या 9 राँची, बुधवार

16 मार्च, 2016 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 24-31
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए,
बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और
2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम
'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम
भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-9- विज्ञापन ---
भाग-9-क–बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।
पूरक-- ... ...
पूरक अ ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

15 फरवरी, 2016

संख्या- 3/नि०सं०-09-45/2015 का॰ 1350 /श्री दीपू कुमार, झा०प्र०से०, जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका का विभागीय अधिसूचना संख्या- 5171 दिनांक 20 सितम्बर, 2007 द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2007 से 05 नवम्बर, 2007 तक स्वीकृत असाधारण अवकाश को रद्द करते हुए निम्नवत् अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

(क) दिनांक 20 अगस्त, 2007 से 26 सितम्बर, 2007 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत,

(ख) दिनांक 27 सितम्बर, 2007 से 16 अक्टूबर, 2007 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत एवं

(ग) दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 से 05 नवम्बर, 2007 तक असाधारण अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

2 फरवरी, 2016

संख्या-4/नि०सं०-12-118/2014 का०- 848--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री प्रिंस गोडवीन कुजूर, कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 2015 से 20 अप्रैल, 2015 तक उपभोग किये गये पितृत्व अवकाश को वित्त विभागीय संकल्प सं0-551, दिनांक 1 मार्च, 2007 के आलोक में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
एच० के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव ।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

12 मार्च, 2016

संख्या-04/वि०स०-1002/2016-1226--पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मेदिनीनगर अंतर्गत आपदा प्रबंधन के कार्यों की निविदा एवं पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार अंतर्गत चापाकल एवं लघु पाईप जलापूर्ति योजना के निविदा के आमंत्रण एवं निष्पादन में अनियमितता बरतने का मामला परिवाद-पत्र के माध्यम से विभाग के संज्ञान में आया ।

2. **प्राप्त पत्र में वर्णित तथ्यों के विरूद्ध श्री अवधेश पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर से क्रमशः विभागीय पत्रांक-**2784 **दिनांक-**10 **जुलाई,** 2015 **एवं पत्रांक-**961, **दिनांक** 26 **फरवरी,** 2016 **द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया तथा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर पूरे मामले की समीक्षा विभाग स्तर पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा द्वारा की गयी एवं पाया गया कि अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदा के शर्तों का उल्लंघन कर कार्य आवंटन किया गया तथा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने का आरोप प्रथम दृष्टया दृष्टया प्रमाणित पाया गया ।**

3. **उपरोक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचारोपरांत श्री अवधेश पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर को निलंबित करते हुये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया ।**

3.1 **सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री अवधेश पाण्डेय, अधीक्षण अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-**2016 **के नियम** 9 (1)**(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।**

ख- **निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची निर्धारित किया जाता है।**

ग- **निलंबन अवधि में इन्हें सेवा संहिता के नियम-**96 **के तहत् जीवन निर्वाह भत देय होगा ।**

3.2 साथ ही साथ झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-17 के तहत् श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किया जाता है ।

3.3 विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी सह संचालन पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ, अम्बष्ठ, उप सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत अधिकतम 105 (तीन माह पन्द्रह दिन) दिनों में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेगें ।

5. आरोपित पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे 15 (पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव-बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभय नन्दन अम्बष्ठ,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

14 मार्च, **2016**

संख्या-09/आरोप-33/2015-*1060*-(09)/रा., श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्कालीन आप्त सचिव, सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका को डॉ. प्रदीप पाण्डेय, जिला आर.सी.एच. पदाधिकारी, गुमला से अनुचित कार्यों के बदले पैसे के लेन-देन की खबर प्रकाशित होने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-4175/रा., दिनांक 28 अगस्त, 2015 द्वारा निलंबित किया गया था ।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-553/रा., दिनांक-17 फरवरी, 2016 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही के संचालन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ।

3. सरकार द्वारा विचारोपरांत श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है ।

4. श्री सिंह के निलंबन अवधि के वेतनादि का भुगतान उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर होगा ।

5. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,
मयूख,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

शुद्धि पत्र

14 मार्च, 2016

संख्या-09/आरोप-33/2015-1061 (09)/रा., **राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-553/रा., दिनांक-17 फरवरी, 2016 द्वारा श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (राजस्व) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक-224, दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के आलोक में श्री अशोक कुमार सिन्हा, से.नि., भा.प्र.से. को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।**

2. श्री अशोक कुमार सिन्हा, से.नि. भा.प्र.से. के संविदिक अवधि की समाप्ति के फलस्वरूप कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आदेश सं0-284, दिनांक 12 जनवरी, 2016 द्वारा श्री एहतेशामुल हक को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का विभागीय जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. अतः उक्त के आलोक में श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (राजस्व) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अशोक कुमार सिन्हा के स्थान पर श्री एहतेशामुल हक को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. विभागीय अधिसूचना सं0-553/रा., दिनांक 17 फरवरी, 2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,
मयूख,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।
(भू-अर्जन निदेशालय)

संकल्प

11 मार्च, 2016

विषयः- मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियो को भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा के भुगतानार्थ उत्तराधिकारियो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ।

संख्या-10बी०/भू०अ०नि० नीति-64/15-179/नि.रा.(10बी.)/रा., राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-5542, दिनांक 21 नवम्बर, 1979 के अनुसार मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारी के प्रत्येक पंचाटी की पंचाटित राशि-5000/- रू० (पाँच हजार रू०) से अधिक हो तो ऐसे मामलों में मृतक पंचाटी के दावेदार को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद समाहर्ता ही भुगतान करने का आदेश देते है। जिला में यह मामला प्रकाश में आया है कि अधिकांश पंचाटी की पंचाटित राशि 5000/- रू० से अधिक है और प्रायः किसी भी मृतक पंचाटी के दावेदार का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र नहीं है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय) के पत्रांक-15/डी०एल०ए० नीति-04/04-1456/रा०, दिनांक 21 जून, 2007 के द्वारा निदेशित है कि अंचलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध रैयत रैयत होने के प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियो को 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये मात्र तक के मुआवजा की राशि सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भुगतान किया जा सकता है, वशर्ते मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियो द्वारा वैध रैयती प्रमाण पत्र एवं अंचल कार्यालय से दाखिल-खारिज खारिज का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। परन्तु जहाँ प्रत्येक मृतक पंचाटी को देय राशि 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये से अधिक हो, ऐसे मामले में मृतक पंचाटी के दावेदार को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही समाहर्ता अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए भुगतान करने का आदेश दे सकेंगे। अतएव विचारोपरांत विषय की महत्ता को देखते हुए जनहित में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि -

(i) **भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों में भूमि से संबंधित मुआवजा राशि में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर मृतक पंचाटी के दावेदार को देय राशि 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये मात्र तक के लिए सक्षम न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना उत्तराधिकारी (वास्तविक उत्तराधिकारी)**

उत्तराधिकारी) का अंचलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध एवं मान्य रैयत प्रमाण पत्र के आधार पर मुआवजा का भुगतान किया जाए। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी इस स्थिति में सर्वप्रथम मृतक पंचाटी के वास्तविक उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारीयों के विषय में पूरी जाँच करेंगे तथा इस आधार पर यदि उपायुक्त संतुष्ट हो तो मुआवजा की राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(ii) ऐसे उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारीयों को मुआवजा भुगतान के समय सरकार के पक्ष में एक इनडेमनिटी बौंड (क्षतिपूर्ति बंध-पत्र) प्रस्तुत करना होगा कि कानून की दृष्टि में अगर कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्ति समूह हकदार साबित होगा तो वह मुआवजा की सम्पूर्ण राशि अथवा आंशिक राशि, जो भी हो सरकार को, वापस करने के लिए बाध्य होंगे ।

(iii) मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारीयों के नाम से दाखिल-खारिज करने में विलम्ब न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उपायुक्त अपने स्तर से अंचलाधिकारियों को निदेश देंगे कि मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारीयों से आवेदन-पत्र प्राप्त होते ही संबंधित अंचलाधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुपालन में उचित कार्रवाई कर दाखिल-खारिज शीघ्रता से करेंगे ताकि क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं हो। साथ ही, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में दाखिल-खारिज के पहले इस आशय की सामान्य नोटिस जारी कर सामान्य आपत्ति/प्रतिक्रिया अवश्य मांग ली जायेगी कि आवेदक को अमुक मृतक पंचाटी का उत्तराधिकारी मानने में किसी का कोई आपत्ति तो नहीं है।

(iv) जहाँ प्रत्येक मृतक पंचाटी को देय राशि 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये से अधिक हो, ऐसे मामले में मृतक पंचाटी के दावेदार को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उपायुक्त, अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए भुगतान करने का आदेश दे सकेंगे ।

(v) मुआवजा राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से सीधे पंचाटी के उत्तराधिकारीयों को किया जायेगा ।

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 9 मार्च, 2016 के मद संख्या-16 के रूप में विषयगत मामले से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,
राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 9–50 ।